

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1665/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2012

लखनऊ : दिनांक 10 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“ ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राम नाईक, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा को बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से सभा मण्डप, विधान भवन, लखनऊ में उसके वर्ष 2016 के तृतीय सत्र के लिए आहूत करता हूँ।

राम नाईक,

राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।”

आज्ञा से,

प्रमोद कुमार जोशी,

विशेष सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 1665(1)/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-माननीय सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 2-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 3-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 4-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 5-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 6-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,

- 7-सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 8-मा0 मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 9-समस्त मा0 मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
- 10-ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ,
- 11-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 12-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
- 13-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
- 14-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 15-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 16-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 17-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 18-समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 19-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 20-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 21-निदेशक दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 22-समाचार सम्पादक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ,
- 23-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 24-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 25-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 26-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा तथा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य विधान परिषद्/
विधान सभा,
- 27-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेंस ब्रान्च, नई दिल्ली,
- 28-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा0 अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 29-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल
की सूचनार्थ,
- 30-प्रमुख सचिव के निजी सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
- 31-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,
उप सचिव।